न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 46/2020

हरसहाय पुत्र रामेश्वर जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम झाझरवाला हाल निवासी उदाला तहसील दौसा जिला दौसा राज0

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 9.11.2020 उनवानी सरकार बनाम हरसहाय प्रकरण संख्या 317/2020 धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

:: निर्णय :: दिनांक 22.06.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल ने दिनाक 9.11.2020 को ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा के आ0ख0 न0 368 रकबा 0.01है0 किस्म सिवायचक भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, शास्ति एवं 60 दिवस के सिविल कारावास से दंडित कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का बीनावाला ने एक कतई झूंठी व गलत रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट ने राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 368 के रकबा 0.01है. पर तारबंदी कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की उक्त गलत व झूंठी रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार सैंथल ने अपीलांट को बिना तामील करवाये एवं कोई विधिवत सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिये बिना व अपीलांट का कोई अतिक्रमण सिद्ध हुए बिना निर्णय पारित कर अपीलांट को भूमि से बेदखल करने व दो माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पुनः अतिचार सिद्ध हुए बिना व पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत हुए बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है ना ही आज कोई अतिक्रमण है। अपीलांट के खिलाफ पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की गई थी। कानूनन सजा जैसा आदेश जब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक पुनः अतिचार सिद्ध नही हो और पूर्व बेदखली का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं हुआ हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही हुआ था, किन्तु सजा जैसा आदेश पारित करने में भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल दौसा द्वारा मुकदमा नंबर 317/2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरसहाय में पारित निर्णय दिनांक 9.11.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Quamer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.17 10:16:08 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसे अपीलांट द्वारा प्राप्त किया गया। अपीलांट बाद तामील नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2077 में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 368 रकबा 0.01 है0 पर तारबंदी कर कब्जा किया जाना अंकित है। साथ ही पटवारी की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट बाद तामील नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ है। साथ ही पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा अपनी रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटा लेने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र का भौतिक सत्यापन तहसीलदार सैंथल से कराये जाने पर तहसीलदार सैंथल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अपीलांट को दिनांक 20.4.2022 को उपखंड अधिकारी दौसा व राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर रास्ता चालू करा दिया गया है। वर्तमान में अपीलांट का खसरा नंबर 368 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से खसरा नंबर 368 से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2020 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 जून 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.17 10:16:08 IST
Reason: SelfAttested
Web Copy - Not Official